



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1273]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2015/ज्येष्ठ 27, 1937

No. 1273]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015/JYAISTHA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

सं. 46/2015 – आयकर

का.आ. 1631(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (6ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि भारत की सुरक्षा से संबंधित इक्यावन रक्षा वायुयानों की रीट्रोफिटिंग करने के लिए भारत सरकार और मैसर्ज डास्साल्ट एविएशन और मैसर्ज थेल्स सिस्टम, एअरोपोर्टर्ज के बीच, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सामान्य संविदा संख्या एयर हेड क्वार्टर/96102/2/ए एस आर-डीए के माध्यम से करार के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं हेतु रायल्टी या फीस के रूप में मैसर्ज डास्साल्ट एविएशन एस ए, जिसका कार्यालय एस ए, ए यू केपिटल डे 81007176 यूरोज आर सी एस पेरिस बी 712042456 में है, को, उद्भूत किसी आय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कम्पनी की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. 200 / 17 / 2014-आ.क.नि.-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक